27

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY; 2रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1245

1. रामसजीवन सिंह तनय स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

2. सत्यदेव सिंह तनय स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

3. सत्यनारायण सिंह तनय स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

4. चित्रभान सिंह तनय स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

सभी निवासी ग्राम बुढ़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

--निगरानीकर्तागण

बनाम

1. ध्रुव सिंह पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह निवासी स्टेशन रोड उमरिया कैम्प जिला उमरिया म0प्र0 ---**गैर निगरानीकर्ता/आवेदक**

2. छोटेलाल सिंह पिता स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

3. सत्यभान सिंह पिता स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

4. बागेश्वर सिंह पिता स्व0 बैकुण्ठनाथ सिंह

5. सविता सिंह पत्नी स्व0 लालजी सिंह

6. बलवन्त सिंह पिता स्व0 लालजी सिंह

7. जसवंत सिंह पिता स्व0 लालजी सिंह

क्रमांक 2 ता 7 निवासी ग्राम बुढ़िया तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

----**गैर निगरानीकर्तागण**

श्री .... द्वारा आज दि. 12.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5.3.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 12.2.18

निगरानी बिरुद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अ-27/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 05.02.18 के बिरुद्ध ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.18 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे गैर निगरानीकर्ता/आवेदक ध्रुव सिंह द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर ग्राम बुढ़िया, लोहंदवार, महसुआ, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 मे स्थित आराजियात के खाता विभाजन हेतु धारा 178 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर स्वत्व के संबंध मे आपत्ति प्रस्तुत की गैर निगरानीकर्ता ध्रुव सिंह एवं गैर निगरानीकर्तारगण एवं निगरानीकर्तागण के मध्य संयुक्त परिवार की सम्पत्ति जिला रीवा एवं जिला उमरिया मे स्थित है एवं आज दिनांक तक निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकर्तागण के मध्य संयुक्त परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्तियों का बंटनवारा नही हुआ है। आवेदक/गैन निगरानीकर्ता ध्रुव सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अविभक्त संयुक्त परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति का विवरण नही दिया और न ही अपने द्वारा बिकीत भूमियों का विवरण दिया है। गैर निगरानीकर्ता ध्रुव सिंह द्वारा स्वंय 16.509हे0 भूमि बिक्रय करने के कारण अब शेष बची भूमियों पर कोई हक आवेदक/गैर निगरानीकर्ता ध्रुव सिंह का नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के स्वत्व के संबंध मे उठाई गई आपत्ति को निरस्त करने का जो आदेश दिनांक 05.02.18 को दिया वह म0प्र0 भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
3. यह कि धारा 178 म0प्र0 भू राजस्व संहिता मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि खाता विभाजन आवेदन पत्र पर हक/स्वत्व के संबंध मे यदि आपत्ति उठाई जाय तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाही को **तीन माह तक कालावधि**

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग/रीवा/भूरा/2018/01244

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी के प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। यह निगरानी तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्र. 68/अ 27/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.02.18 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र धारा 178 भू–राजस्व संहिता में विचाराधीन कार्यवाही में उपस्थित होकर स्वत्व के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, अनावेदक ध्रुव सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अविभक्त संयुक्त परिवार की संपूर्ण सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया और न ही अपने द्वारा विक्रीत भूमियों का विवचरण दिया है, अनावेदक ध्रुव सिंह द्वारा स्वयं 16.509 है0 भूमि विक्रय करने के कारण अब शेष बची भूमियों पर अनावेदक ध्रुंव सिंह का कोई हक नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के स्वत्व के संबंध में उठायी गई आपत्ति को निरस्त करने का आदेश दिनांक 05.02.18 पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी के तर्क सुने गये। आवेदक	

अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वत्व के संबंध में आपत्ति उठायी गई थी ऐसी स्थिति में तहसीलदार को अपने समक्ष की जा रही कार्यवाही को तीन माह तक की कलावधि के लिये रोक देना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के उपरोक्त आपत्ति को निरस्त कर दिया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वत्व के संबंध में आपत्ति उठायी गई थी। साथ ही साथ सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जिला रीवा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्र. 4ए/2018 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष विचाराधीन कार्यवाही को संहिता की धारा 178 के तहत् तीन माह के लिये स्थगित की जानी चाहिए थी, परंतु तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में विधिक भूल की है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.18 विधिवत न होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वत्व संबंधी आवेदन का संहिता की धारा 178 के तहत् निराकरण करें।

सदस्य